

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा / प्रारं / आरटीई / बी / सॉफ्टवेयर / 18894 / 13-14 / वो-1 / २१५ दिनांक:- ०१.०७.१५

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा

विषय:-दिनांक 23.6.14 व 24.6.14 की प्रक्रिया अनुप्रयोग प्रमाणीकरण दल(PACT)
की बैठक में लिए निर्णयों की अनुपालना के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत दिनांक 23.6.14 व 24.6.14 की प्रक्रिया अनुप्रयोग प्रमाणीकरण दल (PACT) की बैठक में लिए निर्णयों के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जिनके द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानान्तर्गत सत्र 2013-14 में निःशुल्क शिक्षा हेतु दिये गये प्रवेशों का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा चुका है तथा सत्यापन रिपोर्ट भी विद्यालय द्वारा आरटीई वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई परन्तु किसी कारण से संबंधित विद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लेम बिल जनरेट नहीं किया जा सका, ऐसे विद्यालयों को आरटीई एक्ट, 2009 के अन्तर्गत नियमानुसार पुनर्भरण किए जाने की कार्यवाही करें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।
4. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को पालनार्थ सूचित कराने का श्रम करावें।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.....।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा / प्रारं / आरटीई / बी / सॉफ्टवेयर / 18894 / 13-14 / वो-1 / २१५ दिनांक:-०१.०७.१४

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा

विषय:-दिनांक 23.6.14 वे 24.6.14 की प्रक्रिया अनुप्रयोग प्रमाणीकरण दल(PACT) की बैठक में लिए निर्णयों की अनुपालना के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत दिनांक 23.6.14 वे 24.6.14 की प्रक्रिया अनुप्रयोग प्रमाणीकरण दल (PACT) की बैठक में लिए निर्णयों के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जिनके द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानान्तर्गत सत्र 2013-14 में निःशुल्क शिक्षा हेतु दिये गये प्रवेशों का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा चुका है तथा सत्यापन रिपोर्ट भी विद्यालय द्वारा आरटीई वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई परन्तु किसी कारण से संबंधित विद्यालय द्वारा ऑनलाईन क्लेम बिल जनरेट नहीं किया जा सका, ऐसे विद्यालयों को आरटीई एक्ट, 2009 के अन्तर्गत नियमानुसार पुनर्भरण किए जाने की कार्यवाही करें।

—६०—
**अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।
4. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को पालनार्थ सूचित कराने का श्रम करावें।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.....।
6. रक्षित पत्रावली।

गुरु
**अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर**